न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, तारानगर जिला चूरू

पीठासीन अधिकारीः—राजेन्द्र कुमार(आर.ए.एस.)

अनुवान हनुमान प्रसाद आदि बनाम सीता देवी आदि

वाद संख्या 78/2015

दावा घोषणा खाता विभाजन एवं चिरस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88, 53, 188 आर.टी.एक्ट.

निर्णय दिनांकः— 29.01.2025

1. हनुमान प्रसाद पुत्र च्यानणमल जाति ब्राह्मण साकिन साहवा तह. तारानगर जिला चूरू
2. तिलोकाराम पुत्र लक्ष्मीनारायण जाति ब्राह्मण साकिन बाँय तह. तारानगर जिला चूरू

—वादीगण—

बनाम

1. सीता देवी पत्नी स्व. नत्थुराम जाति ब्राह्मण साकिन बाँय तह. तारानगर जिला चूरू
2. कालुराम पुत्र किशोरीलाल जाति ब्राह्मण साकिन बाँय तह. तारानगर जिला चूरू
3. किशोरी पुत्र रामकुमार जाति ब्राह्मण साकिन बाँय तह. तारानगर जिला चूरू
4. भवानीशंकर पुत्र महावीर प्रसाद जाति ब्राह्मण साकिन बाँय तह. तारानगर जिला चूरू
5. प्रेम प्रकाश पुत्र महावीर प्रसाद जाति ब्राह्मण साकिन बाँय तह. तारानगर जिला चूरू
6. सोहनलाल पुत्र बजरंगलाल जाति ब्राह्मण साकिन बाँय तह. तारानगर जिला चूरू
7. कन्हैयालाल पुत्र काशीराम जाति ब्राह्मण साकिन बाँय तह. तारानगर जिला चूरू
8. सुगनचन्द पुत्र काशीराम जाति ब्राह्मण साकिन बाँय तह. तारानगर जिला चूरू
9. सीतादेवी पत्नी भागीरथ जाति ब्राह्मण साकिन बाँय तह. तारानगर जिला चूरू
10. धर्माराम उर्फ सुनिल पुत्र भागीरथ जाति ब्राह्मण साकिन बाँय तह. तारानगर जिला चूरू
11. मनोज कुमार पुत्र भागीरथ जाति ब्राह्मण साकिन बाँय तह. तारानगर जिला चूरू
12. सुगनचन्द पुत्र दुर्गादत्त जाति ब्राह्मण साकिन बाँय तह. तारानगर जिला चूरू
13. नेमीचन्द पुत्र दुर्गादत्त जाति ब्राह्मण साकिन बाँय तह. तारानगर जिला चूरू
14. गोपाल पुत्र दुर्गादत्त जाति ब्राह्मण साकिन बाँय तह. तारानगर जिला चूरू
15. विमला पुत्री दुर्गादत्त जाति ब्राह्मण साकिन बाँय तह. तारानगर जिला चूरू
16. पुष्पा पुत्री दुर्गादत्त जाति ब्राह्मण साकिन बाँय तह. तारानगर जिला चूरू
17. गुड्डी पुत्री दुर्गादत्त जाति ब्राह्मण साकिन बाँय तह. तारानगर जिला चूरू
18. हनुमान प्रसाद पुत्र रामदयाल जाति ब्राह्मण निवासी बायं तहसील तारानगर (मृतक)
    - 18/1 रतन पुत्र स्व. हनुमान प्रसाद पुत्र रामदयाल जाति ब्राह्मण निवासी बायं
    - 18/2 प्रहलाद पुत्र स्व. हनुमान प्रसाद पुत्र रामदयाल जाति ब्राह्मण निवासी बायं
    - 18/3 किशन पुत्र स्व. हनुमान प्रसाद पुत्र रामदयाल जाति ब्राह्मण निवासी बायं
    - 18/4 कमलेश पुत्र स्व. हनुमान प्रसाद पुत्र रामदयाल जाति ब्राह्मण निवासी बायं
    - 18/5 सीताराम पुत्र स्व. हनुमान प्रसाद पुत्र रामदयाल जाति ब्राह्मण निवासी बायं
    - 18/6 अमरूराम पुत्र स्व. हनुमान प्रसाद पुत्र रामदयाल जाति ब्राह्मण निवासी बायं
    - 18/7 शारदा पुत्री स्व. हनुमान प्रसाद पुत्र रामदयाल जाति ब्राह्मण निवासी बायं
19. बनवारीलाल पुत्र रामदयाल जाति ब्राह्मण साकिन बाँय तह. तारानगर जिला चूरू
20. नथुराम पुत्र उमाराम जाति ब्राह्मण साकिन बाँय तह. तारानगर जिला चूरू
21. दुनीचन्द्र पुत्र उमाराम जाति ब्राह्मण साकिन बाँय तह. तारानगर जिला चूरू
22. गजानन्द पुत्र बालमुकन्द जाति ब्राह्मण साकिन बाँय तह. तारानगर जिला चूरू
23. श्यामलाल पुत्र रामेश्वर जाति ब्राह्मण साकिन बाँय तह. तारानगर जिला चूरू
24. प्रदीप पुत्र रामेश्वर जाति ब्राह्मण साकिन बाँय तह. तारानगर जिला चूरू
25. बसन्त पुत्र गौरीशंकर जाति ब्राह्मण साकिन बाँय तह. तारानगर जिला चूरू
26. रामबाबु पुत्र दुर्गा प्रसाद जाति ब्राह्मण साकिन बाँय तह. तारानगर जिला चूरू
27. मुन्ना पुत्र दुर्गा प्रसाद जाति ब्राह्मण साकिन बाँय तह. तारानगर जिला चूरू

Rajendra

उपखण्ड अधिकारी
तारानगर (चूरू)

28. ओम प्रकाश पुत्र देवीलाल जाति ब्राह्मण साकिन बाँय तह. तारानगर जिला चूरू
29. भागमल पुत्र रामस्वरूप जाति ब्राह्मण साकिन बाँय तह. तारानगर जिला चूरू
30. जेठी पत्नी गोरधन जाति ब्राह्मण साकिन बाँय तह. तारानगर जिला चूरू
31. विनोद पुत्र गोरधन जाति ब्राह्मण साकिन बाँय तह. तारानगर जिला चूरू
32. जुगल पुत्र गोरधन जाति ब्राह्मण साकिन बाँय तह. तारानगर जिला चूरू
33. सरोज देवी पत्नी भंवरलाल जाति जाट साकिन बनडा तहसील तारानगर जिला चूरू
34. मामकोरी पत्नी कुरड़ाराम जाति जाट साकिन पण्डरेऊ टिब्बा तहसील तारानगर
35. विमला पत्नी जैताराम जाति खाती साकिन पण्डरेऊ टिब्बा तहसील तारानगर
36. सत्यनारायण पुत्र हनुमान प्रसाद साकिन बांय तहसील तारानगर जिला चूरू
37. प्रहलादराम पुत्र भंवरलाल साकिन बांय तहसील तारानगर जिला चूरू
38. गुड्डी देवी पत्नी भंवरलाल साकिन बांय तहसील तारानगर जिला चूरू
39. कान्ता प्रसाद पुत्र किशोरीलाल साकिन बांय तहसील तारानगर जिला चूरू
40. मुन्नालाल पुत्र किशोरीलाल साकिन बांय तहसील तारानगर जिला चूरू
41. मदनलाल पुत्र किशोरीलाल साकिन बांय तहसील तारानगर जिला चूरू
42. पृथ्वीराज पुत्र किशोरीलाल साकिन बांय तहसील तारानगर जिला चूरू
43. युधिष्ठिर पुत्र जगदीश प्रसाद साकिन बांय तहसील तारानगर जिला चूरू
44. भीम पुत्र जगदीश प्रसाद साकिन बांय तहसील तारानगर जिला चूरू
45. अर्जुन पुत्र जगदीश प्रसाद साकिन बांय तहसील तारानगर जिला चूरू
46. नकुल पुत्र जगदीश प्रसाद साकिन बांय तहसील तारानगर जिला चूरू
47. भवानीशंकर पुत्र राधेश्याम साकिन बांय तहसील तारानगर जिला चूरू
48. गीता बेवा राधेश्याम जाति ब्राह्मण साकिन बांय तहसील तारानगर जिला चूरू
49. ऊमी पत्नी विश्वनाथ जाति ब्राह्मण साकिन बांय तहसील तारानगर जिला चूरू
50. किशनलाल पुत्र लादुराम जाति ब्राह्मण साकिन बांय तहसील तारानगर जिला चूरू
51. ओम प्रकाश पुत्र लादुराम जाति ब्राह्मण साकिन बांय तहसील तारानगर जिला चूरू?
52. महावीर पुत्र गोपीराम जाति ब्राह्मण साकिन बांय तहसील तारानगर जिला चूरू
53. पवन पुत्र गोपीराम जाति ब्राह्मण साकिन बांय तहसील तारानगर जिला चूरू
54. सुभाष पुत्र हेमराज जाति ब्राह्मण साकिन बांय तहसील तारानगर जिला चूरू
55. भादर पुत्र हेमराज जाति ब्राह्मण साकिन बांय तहसील तारानगर जिला चूरू
56. शंकर पुत्र हेमराज जाति ब्राह्मण साकिन बांय तहसील तारानगर जिला चूरू
57. श्योकरण पुत्र हेमराज जाति ब्राह्मण साकिन बांय तहसील तारानगर जिला चूरू
58. अनिल पुत्र मनोहरलाल जाति ब्राह्मण साकिन बांय तहसील तारानगर जिला चूरू
59. सुनिल पुत्र मनोहरलाल जाति ब्राह्मण साकिन बांय तहसील तारानगर जिला चूरू
60. खेताराम पुत्र बालुराम जाति ब्राह्मण साकिन बांय तहसील तारानगर जिला चूरू
61. आईदान पुत्र बालुराम जाति ब्राह्मण साकिन बांय तहसील तारानगर जिला चूरू
62. प्रहलादराम पुत्र बालुराम जाति ब्राह्मण साकिन बांय तहसील तारानगर जिला चूरू
63. रामकुमार पुत्र बालुराम जाति ब्राह्मण साकिन बांय तहसील तारानगर जिला चूरू
64. ख्यालीराम पुत्र आशाराम जाति जाट साकिन देवगढ़ तहसील तारानगर जिला चूरू
65. सुमित्रा पत्नी प्रहलादराम साकिन भादरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़
66. सफी मोहम्मद पुत्र हनीफ खां जाति तेली साकिन बांय तहसील तारानगर जिला चूरू
67. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तारानगर जिला चूरू

—प्रतिवादीगण—

68. शाखा प्रबन्धक एस.बी.बी.जे. शाखा साहवा तहसील तारानगर जिला चूरू
69. शाखा प्रबन्धक बड़ौदा राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा बांय तहसील तारानगर जिला चूरू
70. गौरीशंकर पुत्र श्योकरण जाति ब्राह्मण साकिन बांय तहसील तारानगर जिला चूरू

—गौणप्रतिवादीगण—

Jayendra

उपखण्ड अधिकारी
तारानगर (चूरू)

को साथ लेकर वादीगण को इस खरीद शुदा भूमि से बेदखल करने के लिए धमकियां दे रहे है तथ दिनांक 02.05.2015 को भी प्रतिवादीगण ने खेत से बेदखल करने की असफल कोशिश की है। प्रतिवादीगण अगर ऐसा करने में सफल हो गये तो वादीगण अपने खातेदारी अधिकारों की कृषिभूमि के जायज उपयोग उपभोग से वंचित रह जायेंगे जिसकी क्षति पूर्ति मुद्रा में आंका जाना सम्भव नहीं होगा एवं मुकदमें बाजी बढ़ेगी इसलिए प्रतिवादीगण को जरिये चिरस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द करवाने के लिए यह वाद चिरस्थाई प्रस्तुत किया जा रहा है।

वादीगण ने प्रतिवादीगण को अपनी उक्त खरीदशुदा व कब्जा काश्त की भूमि का विभाजन करवाने एवं उसके उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की बाधा नहीं पहुंचाने के लिए कहा व कहलवाया तो ऐसा मानने से बमुकाम बांय में दिनांक 10.05.2015 स्पष्ट रूप से इंकार हो गये इसलिए यही तारीख वाद कारण एवं वादाधार है। आदि–आदि।

विवादित भूमि के खसरा नं. 948 तादादी 24–15 बीघा में से प्रस्तुत अनेक्चर में बरंग लाल से दर्शाई गई भूमि की खोतदारी घोषणा व खाता विभाजन का अनुतोष चाहा। वाद पत्र पेश होने पर इसे दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। जिस पर प्रतिवादी संख्या 1 ता 4, 6, 8, 13, 20 का वकालातनामा अधिवक्ता श्री अनिल स्वामी तारानगर व श्री पंकज स्वामी ने तथा प्रतिवादी वादी संख्या 9 ता 11 का वकालातनामा अधिवक्ता श्री पवन कुमार योगी ने तथा प्रतिवादी संख्या 33 ता 35 का वकालातनाम अधिवक्ता श्री जीतेन्द्र सिंह व प्रतिवादी संख्या 64 का वकालातनामा अधिवक्तागण श्री राजेश सहारण, प्रकाश आचार्य एवं मोहित शर्मा ने पेश किये। जिसे शामिल पत्रावली किया गया। प्रतिवादी संख्या 14, 19, 22, 23, 28 ता 32, 52 ता 57, 68, 69 पर विधिवत तामिल होने के बावजूद ये अनुपस्थित रहें। अतः इनके खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश पारित किये गये।

दौराने दावा प्रतिवादी संख्या 18 के कायम मुकाम का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 4 सीपीसी पेश हुआ जो वाद सुनवाई स्वीकार किया गया। उक्त प्रतिवादी के आगे शीर्षक वाद में मृतक लिखा जाकर इसके कायम मुकाम को प्रतिवादी संख्या 18/1 ता 18/7 संयोजित कराया जाकर संशोधित शीर्षक पत्रावली पर लिया गया। वकील वादी के प्रार्थना पत्र दिनांक 23.11.2015 को स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी संख्या 5, 7, 12, 15 ता 17, 18/1 ता 18/7, 21, 23 ता 27, 36 ता 51, 58 ता 63, 65 ता 67 एवं 70 के सम्मन राजस्तरीय दैनिक समाचार पत्र में साया कराने के आदेश दिये गये। वकील वादी ने उक्त प्रतिवादीगण के सम्मन राष्ट्रदूत समाचार पत्र दिनांक 16.12.2015 के संकरण में साया कराकर इसकी प्रति फेहरिस्त के साथ प्रस्तुत की जिस पर प्रतिवादी संख्या 70 का वकालातनामा श्री आशाराम आचार्य अधिवक्ता ने पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। शेष प्रतिवादीगण के सम्मन अखबार में साया होने एवं पर्याप्त समय देने के बावजूद भी उपस्थित नहीं आयें। अतः प्रतिवादी संख्या 5, 7, 12, 15 ता 17, 18/1 ता 18/7, 21, 23 ता 27, 36 ता 51, 58 ता 63, 65 ता 67 के खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश पारित किये गयें।

प्रतिवादी संख्या 9 ता 11 के अधिवक्ता विभाजन प्रस्ताव मंगवाने के सहमत हुये। प्रतिवादी संख्या 1 ता 4, 6, 8, 13, 20, 64 की ओर से जवाब दावा नये काउण्टर क्लेम पेश किया गया जिसे शामिल पत्रावली किया गया। प्रतिवादी संख्या 33 ता 35 व 70 को बार–बार अवसर दिया जाने पर भी इनका जवाब दावा पेश नहीं किया गया। अतः इनका जवाब दावा बन्द किया गया। दावा तथा प्रतिदावा के आधार पर निम्न विवाधक विरचित तनकीयात कायम की गई।

1. आया विवादित कृषिभूमि खतौनी संख्या 540 कुल तादादी 286.11 बिस्वा वाके रोही बांय तहसील तारानगर में वादीगण खसरा नं. 948 तादादी 24.15 बीघा में अपने

Jayendra
उपखण्ड अधिकारी
तारानगर (चूरू)

1. श्री गजराज सिंह एडवोकेट वास्ते वादी
2. राजपैरोकार वास्ते प्रतिवादी संख्या 67 तहसीलदार तारानगर

–:निर्णय:–

वादीगण द्वारा प्रस्तुत इस वाद का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि कृषि भूमि खं. नं. 8 तादादी 12–03 बीघा, खं. नं. 9 तादादी 2–12 बीघा, खं. नं. 10 तादादी 17–18 बीघा, खं. नं. 11 तादादी 7–16 बीघा, खं. नं. 12 तादादी 8–12 बीघा, खं. नं. 13 तादादी 6–08 बीघा, खं. नं. 14 तादादी 13–00 बीघा, खं. नं. 15 तादादी 10–15 बीघा, खं. नं. 34 तादादी 8–19 बीघा, खं. नं. 35 तादादी 5–13 बीघा, खं. नं. 36 तादादी 11–09 बीघा, खं. नं. 37 तादादी 12–17 बीघा, खं. नं. 592 तादादी 42–02 बीघा, खं. नं. 946 तादादी 17–10 बीघा, खं. नं. 947 तादादी 16–09 बीघा, खं. नं. 948 तादादी 24–15 बीघा, खं. नं. 949 तादादी 8–05 बीघा, खं. नं. 950 तादादी 2–05 बीघा, खं. नं. 951 तादादी 26–17 बीघा, खं. नं. 952 तादादी 15–10 बीघा, खं. नं. 953 तादादी 1–15 बीघा, खं. नं. 975 तादादी 1–00 बीघा, खं. नं. 976 तादादी 4–00 बीघा, खं. नं. 977 तादादी 8–02 बीघा कुल तादादी 286–11 बीघा रोही बांय तहसील तारानगर में वादीगण एवं प्रतिवादीगण सं. 3 ता 66 की संयुक्त खातेदारी की कृषिभूमि है। यही विवादित कृषिभूमि है।

विवादित कृषिभूमि 286–11 बीघा में गौण प्रतिवादी सं. 70 गौरीशंकर की 1/12 हिस्सा में 1/3 हिस्सा अर्थात् 1/36 हिस्सा की खातेदारी एवं कब्जा काश्त की भूमि थी। जो भाई बंटवारे के अनुसार ख. नं. 948 तादादी 24–15 बीघा में बांय से बनड़ा जाने वाली सड़क के पश्चिमी साईड में 8 बीघा भूमि आई हुई थी जो हमेशा से गौणप्रतिवादी गौरीशंकर के खातेदारी कब्जा काश्त की थी। इसे वाद पत्र के साथ संलग्न नक्शे में लाल स्याही से मार्क कर दर्शायी गई है। गौरीशंकर ने बंटवारे में आई हुई भूमि दिनांक 22.04.2015 को जरिये रजिस्ट्रर्ड बैयनामा वादीगण को विक्रय कर दी थी एवं कब्जा भी सम्भला दिया था। इसका इन्तकाल सं. 2263 वादीगण के नाम दर्ज होकर खातेदारी में नाम अंकन हो चुका है। इस पर वादीगण बतौर खातेदार काबिज काश्तकार है। लेकिन प्रतिवादीगण वादीगण की कमजोर स्थिति समझकर इस खरीद शुदा भूमि के उपयोग उपभोग में बाधा डाल रहे है। इसलिए वादीगण के लिए यह आवश्यक हो गया है कि गौणप्रतिवादीगण गोरीशंकर के हिस्से में आई ख. नं. 948 तादादी 24–15 बीघा में 8 बीघा खरीद शुदा भूमि को अलग से विभाजित करवाने की घोषणा करवाये। जिसके के लिए यह घोषणात्मक वाद प्रस्तुत किया जा रहा है। विवादित तादादी 286–11 बीघा वादीगण एवं प्रतिवादीगण सं. 3 ता 66 की राजस्व रिकॉर्ड में संयुक्त रूप से दर्ज हे इसलिए काश्त व उपयोग उपभोग में बाधा आ रही है इसलिए वादीगण अपने खरीद शुदा हिस्सा व कब्जा की भूमि ख. नं. 948 तादादी 24–15 बीघा में 8 बीघा जो बांय से बनड़ा सड़क के पश्चिमी तरफ कब्जे काश्त में है को अलग से विभाजित करवाने के लिए यह कृषिभूमि विभाजन का वाद प्रस्तुत किया जा रहा है।

प्रतिवादीगण सं. 1 व 2 का इस खातेदारी भूमि में कोई हिस्सा नहीं है। अपने हिस्से की कृषिभूमि पहले ही प्रतिवादी सं. 1 सीता देवी के पति नत्थुराम द्वारा अपने जीवन काल में व स्वयं सीता देवी द्वारा विक्रय की जा चुकी है। इनका इस खाता में 1 इंच भी खातेदारी दर्ज नहीं है। लेकिन फिर भी प्रतिवादी सं. 1 व 2 अन्य प्रतिवादीगण

Jayendra
उपखण्ड अधिकारी
तारानगर (चूरू)

नाम दर्ज 1/36 हिस्सा की खातेदारी भूमि 8 बीघा से बांय से बनड़ा जाने वाली सड़क से चिपती हुई पश्चिमी दिशा की भूमि को अपने नाम घोषणा करवाकर उसको अपने नाम अलग से विभाजित करवाने के अधिकारी है जो कि नक्शा लाल रंग से दर्शायी गई है।

– वादीगण –

2. आया वादीगण प्रतिवादीगण के विरूद्व वादीगण के हिस्से व कब्जे उपयोग–उपभोग में आई हुई कृषिभूमि खसरा नं. 948 में 8 बीघा भूमि जो बांय से बनड़ा जाने वाली सड़क के पश्चिमी दिशा में पड़ती है बाबत चिरस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी है।

– वादीगण –

3. आया प्रतिवादीनी सं. 1 सीता देवी विवादित भूमि के खसरा नं. 948 में 8 बीघा भूमि जिसका आसा–पासा जवाब दावा की धारा नं. 2 में दर्शाया गया है पर पूर्वजों के समय से कब्जा काश्त 30 वर्षों से काफी समय का होने के कारण मुखालफाना प्रतिकूल कब्जे के आधार पर मालिकाना अधिकारी प्राप्त कर खातेदारी अपने नाम प्राप्त करने की अधिकारिणी है।

– प्रतिवादी सं. 1 –

4. आया विवादित कृषिभूमि में प्रतिवादीगण सं. 3,4,6,8, से 11, 13, 20 व 64 राजस्व रेकार्ड में दर्ज हक, हिस्सा व कब्जे के अनुसार, खाता विभाजित करवाने के अधिकारी है।

– प्रतिवादीगण सं. 3,4,6,8, से 11, 13, 20 व 64 –

5. अनुतोष ?

वकील वादी ने साक्ष्यवादी में निम्न मौखिक एवं लिखित साक्ष्य पेश कियें।

1. नकल जमांबदी सम्वंत 2070 खाता संख्या 540 ग्राम बांय Ex-1
2. नकल नक्शा विवादित खसरा नम्बर खाता संख्या 540 ग्राम बांय Ex-2
3. नकल जमाबंदी विवादित खसरा नम्बर सम्वंत 2034 Ex-3 व Ex-4
4. नकल जमाबंदी विवादित खसरा नम्बर सम्वंत 2037 Ex-5
5. नकल जमाबंदी विवादित खसरा नम्बर सम्वंत 2042 Ex-6
6. नकल इंतकाल नम्बर 379 Ex-7
7. फोटोप्रति बैयनामा दिनांक 22.04.2015 Ex-8A
8. दावा के साथ मार्क लाल से प्रस्तुत नक्शा Ex-9
9. बयान गवाह हनुमान प्रसाद PW-1
10. बयान गवाह तिलोकाराम PW-2

दौराने दावा प्रतिवादी संख्या 1 ता 4, 6, 8, 13, 20, 9 ता 11, 33 ता 35, 64 व 70 स्वयं व इनके अधिवक्तागण बिना किसी सूचना के अनुपस्थित रहें। अतः इनके खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश पारित किये गये तथा प्रतिवादी संख्या 1 ता 4, 6, 8, 13, 20 व 64 द्वारा प्रस्तुत प्रतिदावें अदम पैरवी अदम हाजरी में खारिज किये गयें। इसके खिलाफ उक्त प्रतिवादीगण द्वारा कोई चाराजोई नहीं की गई।

वकील वादीगण की एकपक्षीय बहस सुनी गई। वकील वादीगण ने वाद के तथ्यों को दौहराते हुए तर्क दिया कि भाई बंटवारा में गौणपतिवादी गौरीशंकर के हिस्से में खसरा नं. 948 में से संलग्न नक्शा के अनुसार 8 बीघा भूमि आयी थी। गौरीशंकर ने इसे वादीगण को विक्रय कर कब्जा संभला दिया। वादीगण खातेदार व काबिज काश्तकार है। प्रतिवादीगण भूमि के उपयोग में बाधा डाल रहे हैं। वादीगण को बेदखली

Jayendra

उपखण्ड अधिकारी
तारानगर (चूरू)

पर तुले हैं। इसका उन्हें हक नहीं हैं। प्रस्तुत नक्शा के अनुसार घोषणा की जाये तथा प्रतिवादीगण के विरूद्ध चिरस्थाई निषेधाज्ञा पारित कर दावा डिक्री किया जाये।

वकील वादी की बहस पर मनन किया गया तथा सम्पूर्ण पत्रावली तथा इस पर उपलब्ध रिकॉर्ड का गहनता से अवलोकन किया गया। दावा का निर्णय तनकीवार निम्न प्रकार किया जाता है।

तनकी संख्या 01 :– इस तनकी को साबित करने का भार वादीगण पर है। वादीगण का कथन है कि विवादित कुल तादादी 286– 11 बीघा में गौण प्रतिवादी गौरीशंकर सहखातेदार था। उसे पारिवारिक भाई बंटवारा में खसरा नं. 948 में बायं–बनड़ा सड़क पर 08–00 बीघा भूमि मिली थी। इस पर हमेशा गौरीशंकर की कब्जा काश्त थी। हमने इसे खरीद किया है। विक्रेता के फुट स्टेप पर कब्जा प्राप्त किया है। वर्तमान में बतौर खातेदार एवं काबिज काश्तकार है। प्रतिवादिनी संख्या 01 द्वारा अपने प्रतिदावे में प्रतिकूल कब्जा के आधार पर इसी 08 बीघा की घोषणा का अनुतोष चाहा गया है। शेष पक्षकारों द्वारा वादीगण के वाद का खण्डन पेश नहीं किया गया है। राजस्व रिकॉर्ड के अवलोकन से वादीगण विवादित भूमि में सहखातेदार हैं जबकि प्रतिवादिनी के नाम कोई भूमि दर्ज नहीं है। दावा में प्रस्तुत दस्तावेज प्रदर्श–08A से वादीगण द्वारा क्रय की गई भूमि सड़क से लगती हुई साबित है। वादीगण ने अपने मौखिक साक्ष्यों से भी इस तनकी को प्रमाणित किया है जबकि प्रतिवादीगण ने वादीगण के अनुतोष के विरूद्ध किसी प्रकार का लिखित एवं मौखिक साक्ष्य पेश नहीं किया है। अतः यह तनकी वादीगण के पक्ष में तय की जाती है।

तनकी संख्या 02 :– इस तनकी को साबित करने का भार भी वादीगण पर है। चूंकि तनकी संख्या 01 वादीगण के पक्ष में निर्णित हो चुकी है। जिससे वे नक्शा में बरंग लाल से दर्शित की गई भूमि की खातेदारी प्राप्त करने के हकदार हैं। अतः वे अपनी भूमि बाबत चिरस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के भी अधिकारी हैं। अतः ये तनकी वादीगण के पक्ष में तय की जाती है।

तनकी संख्या 03 व 04 :– इन तनकियात को साबित करने का भार क्रमशः प्रतिवादी संख्या 01 एवं 03, 04, 06, 08 से 11, 13, 20, 64 का है। उक्त प्रतिवादीगण ने किसी प्रकार का लिखित एवं मौखिक साक्ष्य पेश नहीं किया गया है। इनके प्रतिदावे भी खारिज हो चुके हैं। अतः उक्त तनकियात को साबित करने में विफल रहे हैं। अतः ये तनकी उक्त प्रतिवादीगण के विरूद्ध तय की जाती है।

आदेश

चूकिं तनकी संख्या 01 व 02 वादीगण के पक्ष में तथा तनकी संख्या 03 व 04 प्रतिवादीगण के विरूद्ध तय की गई है। वाद वादीगण पुष्ट एवं प्रमाणित पाया जाता है। अतः वाद डिक्री किया जाकर घोषित किया जाता है कि वादीगण हनुमान प्रसाद पुत्र च्यानणमल जाति ब्राह्मण निवासी साहवा व तिलोकाराम पुत्र लक्ष्मीनारायण जाति ब्राह्मण निवासी बायं तहसील तारानगर विवादित कृषिभूमि रोही ग्राम बायं तहसील तारानगर के खसरा नं. 948 में से दावा के साथ प्रस्तुत नक्शा में बरंग लाल से दर्शायी गयी 08–00 बीघा (2.0130 हैक्टेयर) के बहैब खातेदार एवं काबिज काश्तकार हैं। विवादित शेष भूमि अन्य खातेदार/प्रतिवादीगण के हक हिस्से में वर्तमान जमाबंदी में दर्ज हिस्सानुसार

Jayendra
उपखण्ड अधिकारी
तारानगर (चूरू)

रहेगी। यदि किसी खातेदार की भूमि बैंक रहन है तो उसे यथावत रहन रखी जावें। प्रतिवादीगण को चिरस्थाई निषेधाज्ञा से वर्जित किया जाता है कि वह वादीगण की उक्त भूमि की कब्जा काश्त एवं उपयोग उपभोग में किसी प्रकार का दखल न करें। दावा के साथ प्रस्तुत बरंग लाल से दर्शित नक्शा निर्णय व डिकी का भाग रहेगा। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे। तदनुसार पर्चा डिकी जारी हो।

(प्रदीप कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
तारानगर (चूरू)
उपखण्ड अधिकारी
तारानगर (चूरू)

निर्णय आज दिनांक 29.01.2025 को लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनवाया गया।

(प्रदीप कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
तारानगर (चूरू)
उपखण्ड अधिकारी
तारानगर (चूरू)